कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1791 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 14/11/2026

//छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2026 के द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना//

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश वर्ष 2026 के द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET PG-2026 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सभी आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व **अधिसूचना क्रमांक RULE-801/205/2025-MED. द्वारा जारी छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 एवं दिनांक 22.01.2026 के संशोधन (विशेषकर पात्रता/आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें। उक्त नियम एवं संशोधन वेबसाइट **www.cgdme.in** पर उपलब्ध हैं।

समय सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	निर्धारित तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क **(Non Refundable)**	1. सभी श्रेणीयों के लिए राशि रू. 2,000/–(रू. दो हजार मात्र) 2. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रू. 10000/–(रू. दस हजार मात्र)
2	*पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - **Security Deposit Money**)	देखें पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि	दिनांक 14 नवम्बर 2026 समय **(Server Time) 17.30 Hrs. (05:30 PM)** से दिनांक 19 नवम्बर 2026 समय **(Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM)** तक
4	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 14 नवम्बर 2026 समय **(Server Time) 17.30 Hrs. (05:30 PM)** से दिनांक 20 नवम्बर 2026 समय **(Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM)** तक

** पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) :–*

यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में पी.जी. सीट आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है अथवा प्रवेश लेकर सीट त्यागते है तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी।

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)		
श्रेणी	*शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटो हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)*	*निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय+ शासकीयमहाविद्यालयहेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)*
UR	*25,000/– (रू. पच्चीस हजार मात्र)*	*2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)*
SC/ST/OBC	*12,500/– (रू. बाहर हजार पांच सौ मात्र)*	*2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)*

क्रमश––2––

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें निर्धारित अवधि में द्वितीय चरण हेतु संस्था एवं विषय चयन करना होगा। नवीन पंजीयन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क एवं पंजीयन राशि का भुगतान कर संस्था चयन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 14(क) के अनुसार, "काउंसिलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध होगा।" अतः प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी, जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सहमति देना तथा निर्धारित अवधि में संस्था एवं विषय चयन (Choice Filling/Locking) करना अनिवार्य होगा।

3. ***EWS श्रेणी की पात्रता का निर्धारण –*** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा घोषित NEET PG 2026 के परिणाम में उपलब्ध अभ्यर्थी की श्रेणी संबंधी जानकारी के आधार पर ही राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में EWS श्रेणी की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा NEET PG 2026 की परीक्षा में EWS श्रेणी का चयन किया गया है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियमानुसार राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में EWS श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा NEET PG 2026 की परीक्षा में EWS श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी का चयन किया गया है, उन्हें राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के दौरान EWS श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों की श्रेणी संबंधी जानकारी NBEMS से प्राप्त डेटा के अनुसार ही काउंसिलिंग पोर्टल में प्रदर्शित की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. द्वितीय चरण में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को पुनः संस्था एवं विषय चयन करना अनिवार्य है। प्रथम चरण में भरी गई चॉइस द्वितीय चरण के लिए मान्य नहीं होगी। चॉइस फिलिंग नहीं करने पर द्वितीय चरण में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

5. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका, 2025 के बिन्दु 2.6 के अनुसार काउंसिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में पंजीयन की अनुमति नहीं होगी। प्रथम चरण में सीट आवंटित होने के बाद संवीक्षा नहीं कराने वाले अथवा संवीक्षा में अपात्र पाए गए अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

क्रमश––3––

6. पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों ने यदि पहले केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का विकल्प चुना था और अब निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का भी चयन करना चाहते हैं, तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित पंजीयन राशि एवं पूर्व में जमा राशि के अंतर का भुगतान करना होगा। भुगतान के उपरांत ही निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन किया जा सकेगा।
7. द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों में सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेने अथवा प्रवेश लेकर सीट त्याग करने पर जमा पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि) नियमानुसार राजसात (Forfeit) की जाएगी। अतः अभ्यर्थी केवल उन्हीं संस्था एवं विषयों का चयन करें, जिनमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
8. यदि ऑन–लाईन आवेदन पूर्णकरने के बाद Lock& Submit भी कर चुके है, तब भी **ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Edit करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी ।**
9. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि **(जैसे :– अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि)** होने पर आप अपात्र हो जाते है। अतः ऑनलाईन आवेदन की ***अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना , एक सुरक्षित प्रक्रिया है।***
10. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि (सुरक्षा निधि राशि) का भुगतान उम्मीदवारों के स्वयं के बैंक खाते या उनके माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते के माध्यम से करें। साथ ही, किसी भी आकस्मिक स्थिति के मामले में उन्हें एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। **यदि अभ्यर्थी नियमानुसार रिफण्ड के लिए पात्र है, तो उस जमाकर्ता खाते में ही पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)का रिफण्ड किया जायेगा, जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है।**

 प्राथमिक बैंक खाते के साथ–साथ वैकल्पिक बैंक खाते को भी सक्रिय मोड में रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी अपरिहार्य एवं तकनीकी कारणों से प्राथमिक बैंक खाते में रिफंड नहीं होता है, तो पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक सक्रिय बैंक खाते में रिफंड किया जाएगा।

नोटः–

1. **ऑनलाईन आवेदन के दौरान, सेवारत् अभ्यर्थियों के लिए सेवा प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।**

क्रमश––4––

2. काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in एन.आई. सी. की वेबसाइट *https://cgdme.admissions.nic.in/* का नियमित अवलोकन करें।

3. **काउंसिलिंग की समस्त प्रकिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग,बोनस प्रतिशत इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Usha 14/11/26

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.